न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री राकेश कुमार मीना (आरएएस)
मुकदमा नं0 : 76/2022
प्रकरण दर्ज दिनांक : 03.08.2022
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 09.01.2023

उनवानी प्रकरण

भरतलाल वगै0 बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अ0धा0 128 राज0एल.आर.एक्ट

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 873 रकबा 2.0200 है0 वाके ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में पूर्व में सीमाज्ञान सीमा चिन्ह स्थापित थे लेकिन वर्षात एवं जंगली जानवरो ने उक्त सीमा चिनहो को नष्ट कर दिया जिससे प्रार्थीगण को उक्त भूमि के जुताई बुवाई के समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया किया। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2022 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । पत्रावली में विचाराधीप भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहबरावण्डा को वाके ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थीगण की भूमी खसरा नम्बर 873 रकबा 2.0200 है0 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.01.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2023.02.21 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट